

प्रेषक,

अखिलेश अग्निहोत्री,

संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

निदेशक, उच्च शिक्षा,

उ.प्र., इलाहाबाद।

उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ  
संख्या ५५६ /सं०शि०प०/२०  
दिनांक १०-०१-२०१७

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ :दिनांक ०३ जनवरी, 2017

विषय: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र के आधार पर अल्पसंख्यक संस्था 'ट्रीट' किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अल्पसंख्यक संस्था होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर उन्हें अल्पसंख्यक संस्था की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

क्रम	संस्था का नाम	भारत सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत पत्र में अंकित फाइल नम्बर	धर्म
1	रुदौली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सरायपीर भेलसर, रुदौली, जिला-फैजाबाद, उ.प्र.	एफ. 372 ऑफ 2015-3242 दिनांक 19 अगस्त, 2015 के साथ संलग्न प्रमाणपत्र दिनांक 05 अगस्त, 2015	मुस्लिम
2	हाजी वारिस अली शाह मेमोरियल डिग्री कॉलेज, ग्राम-बरौलिया, पोस्ट ऑफिस-सिरौली, गौसुपर, जिला-बाराबंकी, उ.प्र.	एफ. नम्बर 2441 ऑफ 2013-14923 दिनांक 26 मई 2014 के साथ संलग्न प्रमाणपत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2014	मुस्लिम
3	राजवीर सिंह सिकरवार कॉलेज, सैदपुर, बलदेव, मथुरा	एफ. नम्बर 920 ऑफ 2016 / 9192 दिनांक 17 जून, 2016 के साथ संलग्न प्रमाणपत्र दिनांक 16 जून 2016	जैन
4	एन.एस.एस. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम-छौली, पोस्ट-बलदेव तहसील-महावन, जिला-मथुरा, उ.प्र.	एफ. नम्बर 1077/2016/11634 दिनांक 05 अक्टूबर 2016 के साथ संलग्न प्रमाणपत्र दिनांक 05 अक्टूबर, 2016	जैन

सौजन्य  
10/11/17

5	जय दुर्गा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम-सैदपुर पोस्ट-बलदेव, तहसील-महावन, जिला-मथुरा, उ.प्र.	एफ. नम्बर 1076/2016-11633 दिनांक 05 अक्टूबर 2016 के साथ संलग्न प्रमाणपत्र दिनांक 05 अक्टूबर, 2016	जैन
---	---	---	-----

(2) इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) के क्रम में सम्बन्धित राज्य विश्वविद्यालय की परिनियमावली में उल्लिखित पाठ्यक्रमों हेतु उक्त संस्थाओं को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में 'ट्रीट' किये जाने का निर्णय लिया गया है।

भवदीय,

(अखिलेश अग्निहोत्री)


संयुक्त सचिव।

संख्या-1970(1)सत्तर-6-2016 तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, गेट नं. 4, प्रथम तल, जीवन तारा भवन, 5, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001
- 2- प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, उ.प्र. शासन, लखनऊ
- 3- कुलसचिव, डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
- 4- कुलसचिव, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
- 5- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ एवं आगरा।
- 6- सचिव/प्रबन्धक, सम्बन्धित महाविद्यालय।
- 7- उच्च शिक्षा अनुभाग-2 एवं 3
- 8- अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 9- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,



(अतुल कुमार मिश्र)

अनु सचिव।